लखनऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ

दिनाँक : 11 दिसम्बर 2014 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति

1. प्रो0 ए0के0 सेनगुप्ता, कुलपति	– अध्यक्ष
2. प्रो0 पी0सी0 मिश्रा,	– सदस्य
3. प्रो0 विनोद सिंह,	– सदस्य
4. प्रो0 काली चरण सनेही,	– सदस्य
5. प्रो0 बृजेश कुमार शुक्ल,	– सदस्य
6. प्रो0 ए0डी0 श्री वैष्णव,	– सदस्य
7. प्रो0 अरूप चक्रवर्ती,	– सदस्य
8. प्रो0 रश्मि रेखा,	– सदस्य
9. प्रो0 रश्मि कुमार,	– सदस्य
10. प्रो0 राजीव मनोहर,	– सदस्य
11. प्रो0 अजय मिश्रा,	– सदस्य
12. प्रो0 ए0पी0 सिंह,	– सदस्य
13. प्रो0 कमान सिंह,	– सदस्य
14. प्रो0 एस0सेन0 शर्मा	– सदस्य
15. प्रो0 मधु त्रिपाठी	– सदस्य
16. प्रो0 निशी पाण्डेय	– सदस्य
17. प्रो0 राज कुमार सिंह	– सदस्य
18. प्रो0 राजीव पाण्डेय	– सदस्य
19. प्रो0 निधी बाला	– सदस्य
20. प्रो0 रश्मि पाण्डेय	– सदस्य
21. प्रो0 एन0के0 पाण्डेय	– सदस्य
22. प्रो0 राम गणेश यादव	– सदस्य
23. प्रो0 आर0एन0 सिंह	– सदस्य
24. प्रो0 बालक दास	– सदस्य
25. प्रो0 ऊषा बाजपेयी	– सदस्य
26. प्रो0 अरुणा शुक्ला	– सदस्य

Scanned by CamScanner

27. प्रो0 मनोज दीक्षित – सदस्य
28. प्रो0 जे0के0 शर्मा – सदस्य
29. प्रो0 ए0के0 शर्मा – सदस्य
30. डॉ0 आर0आर0 यादव – सदस्य
31. डॉ0 सलील चन्द्रा, – सदस्य
32. श्री पी0 राजीवनयन – सदस्य
33. श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय(पी0सी0एस0) – सचिव

सर्वप्रथम सचिव महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित विद्या परिषद के समस्त माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से परिषद के सचिव/कुलसचिव द्वारा परिषद की मदवार कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए सचिव/कुलसचिव द्वारा बैठक के माननीय सदस्यों को यह अवगत कराया गया कि आज दिनांक 11.12.2014 को विद्या परिषद की आपात बैठक जो विद्या परिषद की पूर्व बैठक दिनांक 03.09.2014 के विनिश्चय संख्या 02 में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत ललित संकाय में कार्यरत कतिपय कर्मियों को प्रवक्ता का पद दिये जाने के प्रकरण पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में आहूत की गयी है।

सचिव द्वारा विधिक अभिमत को माननीय सदस्यों को पढ़कर सुनाया गया। सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से श्री बाकर ज़ैदी, श्री नियाज़ अहमद, श्री अमर नाथ गौढ़ एवं शबीह अब्बास जैदी Instructors की प्रवक्ता पद हेतु शैक्षिक योग्यता पूर्ण न होने के कारण प्रवक्ता पद नाम दिये जाने पर असहमति जतायी गयी।

माननीय सदस्य प्रो0 ए0डी0 श्री वैष्णव द्वारा अध्यादेश में उल्लिखित प्राविधान को अवगत कराते हुए यह आपत्ति जतायी गयी कि अध्यादेश में विद्या परिषद की आपात बैठक आहूत किये जाने का कोई भी प्राविधान मौजूद नहीं है। विद्या परिषद की आपात बैठक आहूत किये जाने के स्थान पर विशेष बैठक आहूत की जानी चाहिए। जिस पर यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में अध्यादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

सचिव महोदय ने कार्यवाही समाप्त होने पर समस्त माननीय सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने तथा विचारणीय बिन्दु पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
कुल सचिव/सचिव

A. K. Sengupta
(प्रो0 ए0के0 सेनगुप्ता)
कुलपति/अध्यक्ष

Scanned by CamScanner

लखनऊ विश्वविद्यालय

कार्यालय टिप्पणी तथा आदेश

(मीटिंग अनुभाग, कुलसचिव कार्यालय)

कुलसचिव / माननीय कुलपति महोदय,

कृपया संलग्न पृष्ठ 1 से 08 तक का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में दिनांक 06.05.2015 को सम्पन्न कार्य परिषद की बैठक 4 / 2015 के कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

17.5.2015

Reg.

18/5/15

Scanned by CamScanner